अध्याय–VII

कर–इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 राजस्व प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच अतिरिक्त निदेशक, खान(एडीएम), तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान(एडीजी) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं(एसएमई) को नियंत्रित करते हैं।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 39 खनि अभियंता(एमई)/सहायक खनि अभियंता(एसएमई) खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन के रोकथाम के अलावा राजस्व का निर्धारण तथा वसूली हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता विंग है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर हैं।

7.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय कार्यकलापों को प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण के अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, व्यवस्था में कमियों के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह बिन्दु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 में भी उठाया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित 32 इकाइयों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई मापक जांच में 6,233 प्रकरणों में ₹ 447.64 करोड़ राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	88.22
2.	खनिज संरक्षण का अभाव	13	50.86
3.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	211	27.04
4.	अनधिकृत उत्खनन	517	263.29
5.	वित्तीय आश्वासन के वसूली का अभाव	1,615	4.50
6.	अन्य अनियमिततायें	3,876	13.73
योग		**6,233**	**447.64**

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभागों ने 3,971 प्रकरणों में ₹ 38.19 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 13.01 करोड़ के 1,473 प्रकरण वर्ष 2013-14 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने 1,765 प्रकरणों में ₹ 8.88 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.27 करोड़ के 102 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 88.22 करोड़ सन्निहित हैं एवं कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 3.78 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों 7.5 से 7.6 में उल्लेखित किये गये हैं।

7.4 'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

दस सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमति पत्रधारियों एवं ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन निधि ₹ 6.53 करोड़ का संग्रहण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.10)

अवैध खनन की जांच एवं अप्रधान खनन पट्टों के आवंटन के पांच मामलों में नौ समितियां/संयुक्त निरीक्षण दल गठित किये गये। इनमें से, मोडा पहाड़ के एक मामले में चार समितियां/संयुक्त जांच टीमें जबकि एक अन्य मामले में दो समितियों का गठन किया गया जिनके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अवैध खनिज उत्खनन में कुल ₹ 177.08 करोड़ राजस्व निहित है।

(अनुच्छेद 7.4.11)

चयनित 11 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 5,250 अपील के प्रकरणों में से 4,588 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 662 प्रकरण विभाग के पास लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.12)

सीकर जिले में नोबल मेटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में चेजा पत्थर के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.13)

सात खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण के 10,751 मामलों में से 8,177 मामलों का ही निपटान किया गया। शेष 2,574 अधिशुल्क निर्धारण प्रकरण 31 मार्च 2013 तक लम्बित रहे। अधिशुल्क निर्धारण के निपटान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।

(अनुच्छेद 7.4.14.1)

यह देखा गया कि 75 ठेकेदारों द्वारा चेजा पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि खनिजों का अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक का खनन/उपयोग किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 8.33 करोड़ आंकी गई।

(अनुच्छेद 7.4.15)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अवधि 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र,

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[1] में अधिशुल्क निर्धारण हेतु लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.19)

विभाग द्वारा 2004-05 से आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण भी नहीं किये गये। निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज उत्खनन का पता लगाने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मध्य कोई समन्वय नहीं पाया गया।

(अनुच्छेद 7.4.20)

7.4.1 परिचय

राजस्थान राज्य की कर-इतर राजस्व में खनिजों से प्राप्तियों का बड़ा भाग है। खनिजों को प्रधान व अप्रधान खनिजों के रूप में दो श्रेणियों में बांटा गया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के अनुसार अप्रधान खनिज में भवन निर्माण पत्थर, ग्रेवल, साधारण मिट्टी एवं निर्धारित प्रयोजनों में प्रयोग होने वाली साधारण मिट्टी एवं अन्य खनिज जिनको केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचित कर अप्रधान खनिज होना घोषित करे, शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने अप्रधान खनिज के उत्खनन एवं विनियमन के लिये अलग नियम अर्थात् राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 बनाये हैं। राजस्थान सरकार ने खनिज नीति, 1994 को अतिलंघित करते हुए सतत् आर्थिक विकास के लिये खनिज संसाधनों के उचित प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु नई खनिज नीति, 2011 (28 जनवरी 2011) बनाई।

राजस्थान राज्य की भू-वैज्ञानिक शाखा अप्रधान खनिज के प्रचुर बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान करती है। इसके पश्चात् विभाग खनन पट्टे एवं खदान अनुज्ञप्तियां प्रदान करने हेतु क्षेत्रों की सीमा निश्चित करता है। नई खनिज नीति के अनुसार अप्रधान खनिज के 50 प्रतिशत खनन पट्टे एवं खदान अनुज्ञप्तियां सशर्त कुछ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिमान्य अधिकारों के साथ प्राथमिकता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत नीलामी के आधार पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं। अधिशुल्क एवं स्थिरभाटक की दरें समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।

7.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच

[1] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I एवं टोंक।

अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान (एडीजी) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं (एसएमई) को नियंत्रित करते हैं।

39 खनि अभियंता(एमई)/सहायक खनि अभियंता(एसएमई) खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के राजस्व का निर्धारण तथा वसूली एवं विनियमन हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर हैं।

31 मार्च 2013 को विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:

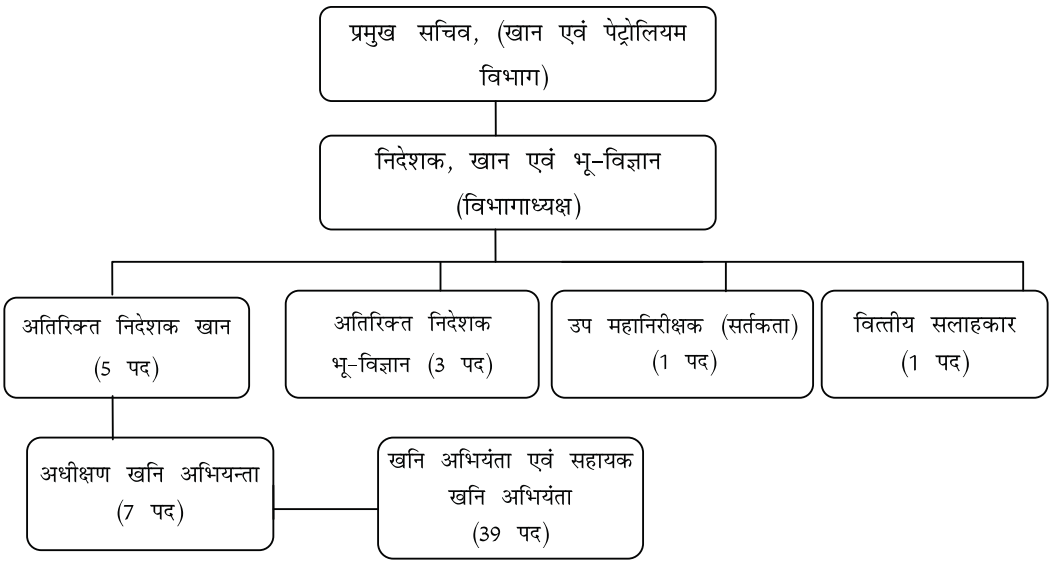

7.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी कि:

- खान प्राप्तियों के सही अनुमान, आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिए अधिनियमों इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उचित प्रावधान किये गये हैं एवं किस सीमा तक ऐसे कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;
- अप्रधान खनिज के खनन पट्टों के अनुदान एवं इसके उत्खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी खनन नीति एवं व्यवस्था प्रभावी, दक्षता पूर्ण एवं पारदर्शी है; एवं
- खनिजों के अवैध खनन एवं सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए उचित आन्तरिक नियन्त्रण एवं निगरानी प्रणाली विद्यमान है।

7.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्न अधिनियमों, नियमों एवं इनके अन्तर्गत अधिसूचना/परिपत्रों से लिये गये हैं:

राज्य कानून

- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986;
- राजस्थान खनिज नीति, 2011;
- राजस्थान मार्बल नीति, 2002; एवं
- राजस्थान ग्रेनाईट नीति, 2002.

केन्द्रीय कानून

- खान एवं खनिज नियम (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957.

7.4.5 कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के लिए की गयी। अप्रधान खनिजों से राजस्व प्राप्ति एवं 39 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में से 11 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय[2] चयन पुन: स्थापन सहित आकार के अनुरूप 'संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर; अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर के द्वारा संधारित अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा राज्य में निरन्तर अवैध खनन के मामले प्रकाशित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा किये गये स्थानीय निरीक्षण के दौरान बहुत से अवैध खनन के मामले देखे गये। अत: इस क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय किया गया।

7.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के लिये वांछित सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये खान एवं भू-विज्ञान विभाग, इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा दिये गये सहयोग का आभारी है। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उपसचिव (खान), राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ 5 मार्च 2014 को प्रारम्भिक सभा की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली को स्पष्ट किया गया।

[2] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक के खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता।

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ एक समापन सभा 11 नवम्बर 2014 को हुई, जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

7.4.7 राजस्व प्रवृत्तियां

बजट मैनुअल के खण्ड-I की धारा 2 के पैराग्राफ 10.1 एवं धारा 2(ए) के पैराग्राफ 11.1 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो सकने वाले राजस्व के अनुमान एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व राजस्व अर्जन विभाग के अनुमान लगाने वाले अधिकारियों का है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्रधान खनिजों, अप्रधान खनिजों एवं अन्य से प्राप्त राजस्व का बजट अनुमान, संशोधित एवं वास्तविक राजस्व प्राप्ति का वर्णन निम्न है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	लक्ष्य (संशोधित)	उपलब्धियां			योग	(-)कमी/(+) आधिक्य (बजट अनुमान/वास्तविक)	प्रतिशत
			प्रधान	अप्रधान	अन्य			
2009-10	1,450.00	1,560	971.91	420.42	220.28	1,612.61	(+)162.61	11.21
2010-11	1,760.00	1,805	1,180.71	516.25	232.62	1,929.58	(+)169.58	9.64
2011-12	2,060.00	2,260	1,329.67	751.62	285.03	2,366.32	(+)306.32	14.87
2012-13	2,500.00	2,910	1,518.31	858.41	461.87	2,838.59	(+)338.59	13.54

नोट: अन्य प्राप्तियों में आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र शुल्क आदि सम्मिलित है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियां बजट अनुमानों के तुलना में वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान 9.64 से 14.87 प्रतिशत की सीमा में अधिकता की ओर थी।

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

7.4.8 खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों का अनुमोदन

19 जून 2012 से पूर्व केवल खनिज ग्रेनाईट एवं संगमरमर के खनन पट्टों हेतु खनन योजनायें प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी। इसके पश्चात् राजस्थान अप्रधान

खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में अध्याय-IV-ए (व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन) को जोड़ा (19 जून 2012) गया। इन नियमों का नियम 37(आई) बताता है कि खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना एवं सरलीकृत खनन स्कीम के अनुसार किया जायेगा।

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[3] के खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 9,515 में से 4,195 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों ने खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें[4] प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि 5,320 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित कार्यालयों में खनन योजनायें एवं सरलीकृत खनन स्कीमें प्रस्तुत कर दी गयी जिनमें से केवल 3,807 खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम ही अनुमोदित की गयी।

जिसके परिणामस्वरूप 5,708 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम के अनुमोदन के बिना खनन कार्य किया जा रहा था।

प्रकरण के बताये जाने पर, राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों को खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए चेतना पत्र जारी किये जा चुके थे। इसी बात को समापन सभा में पुनः बताया गया।

7.4.9 वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(जे) (19 जून 2012 से प्रभावी) में प्रावधान है कि प्रत्येक खनन पट्टेधारी/खदान अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि अनुमति पत्रधारी किसी भी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा के रूप में वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करेगा। खनन समापन योजना के प्रावधानों के उल्लघंन पर यह राशि, इस पर मिलने वाले ब्याज सहित जब्त कर ली जावेगी।

ग्यारह खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12,650 खनन पट्टेधारियों एवं खदान अनुज्ञप्तिधारियों में से 1,159 मामलों में ₹ 5 करोड़ की वित्तीय आश्वासन राशि प्राप्त नहीं की गयी जोकि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(जे) के अन्तर्गत प्राप्त करनी आवश्यक थी। जिससे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमानुसार खनन क्षेत्र की पुनःबहाली/भूमि उद्धार नहीं करने की सभांवना से इंकार नहीं किया जा सकता।

[3] अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक।

[4] खनन योजना एवं सरलीकृत खनन स्कीम से तात्पर्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अध्याय-IV के नियम 37बी एवं 37एच के अन्तर्गत तैयार एक योजना से है एवं जो सम्बन्धित क्षेत्र में अप्रधान खनिज के भण्डार के विकास के लिये प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

प्रकरण के बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि वित्तीय आश्वासन की बकाया राशि जमा कराने के लिये खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों को चेतना पत्र जारी किये जा चुके थे। इसी बात को समापन सभा में पुन: बताया गया।

7.4.10 पर्यावरण प्रबन्धन कोष

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37 टी(5) के अनुसार खनन पट्टेधारियों से पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि (ई.एम.एफ.) संग्रहित की जावेगी। यह संग्रहित राशि नियम के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय कार्यों में प्रयोग की जावेगी। यद्यपि राशियों की वसूली के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी।

दस खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[5] के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमतिधारकों एवं ठेकेदारों से निम्न विवरण के अनुसार ₹ 6.53 करोड़ ई.एम.एफ. राशि संग्रहित नहीं की गयी:

श्रेणी	संख्या	राशि
खनन पट्टेधारी जो खनिज खनन एवं निर्गमन का कार्य करते हैं।	104	68
अनुमतिधारी जो खनिज खनन करके उसे स्वयं के सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं।	173	121
अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार जो अधिशुल्क सग्रंहण का कार्य करते हैं।	12	464
योग	**289**	**653**

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि बकाया ई.एम.एफ. राशि की वसूली के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये/किये जा रहे हैं।

समापन सभा में अवगत कराया कि राशि की वसूली की प्रक्रिया में दुविधा होने के कारण (फरवरी 2013) निर्देश जारी नहीं हो सके। इस प्रकार प्रणाली के लागू नहीं होने के परिणामस्वरूप आठ माह के लिये, जून 2012 से मार्च 2013 तक की राशि की अवसूली रही।

[5] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक।

7.4.11 समितियों का गठन एवं उनके द्वारा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण

खनिजों के अवैध खनन की मात्रा एवं खननपट्टों के आवंटन को सुनिश्चित करने एवं अन्वेषण करने के लिए न्यायालय के निर्देशन या खनन पट्टेधारियों के द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा समितियां गठित की गयी।

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया कि अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा को सुनिश्चित करने तथा खनन पट्टों के आवंटन का परीक्षण करने के लिए सितम्बर 2001 से जून 2014 की अवधि में नौ समितियों/संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया। इनमें से एक मामले (मोडा पहाड़)[6] के लिए चार समितियों/संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया जबकि अन्य एक मामले में दो समितियों का गठन किया गया तथा शेष तीन मामलों में प्रत्येक के लिए एक-एक समिति का गठन किया गया। यह देखा गया कि समितियों द्वारा या तो कोई प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया या फिर जहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप अवैध खनन अबाध रूप से चलता रहा जिसकी चर्चा निम्न अनुच्छेद संख्या 7.4.11.1 से 7.4.11.5 में की गयी हैं।

7.4.11.1 विभाग के निरूत्साहपूर्ण कार्यवाही के कारण मोडा पहाड़ में लगातार अवैध खनन जारी रहना

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं खनि अभियन्ता, सीकर के अभिलेखों की जांच में पाया कि मोडा पहाड़ में अवैध खनन बिना किसी रोक-टोक के अबाध रूप से चलता रहा। बिना किसी सार्थक परिणामों के एक के बाद एक चार समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन एवं उनके द्वारा की गयी कार्यवाही निम्न तालिका में संक्षिप्त रूप में

[6] एक पहाड़ी का नाम जिसमें खनिज चुनाई पत्थर उपलब्ध है।

चर्चा की गयी है:

क्र. सं.	निरीक्षण अधिकारी/संयुक्त निरीक्षण दल/ समिति का विवरण	खनि अभियंता/संयुक्त निरीक्षण दल/समिति द्वारा की गयी कार्यवाही एवं अवधि	पंचनामा/ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	अवैध खनिज की मात्रा व कीमत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खनि अभियंता, सीकर ने अवैध खनन का पता लगाया।	6.7.2001 से 11.7.2001 तक पंचनामे बनाये।	6.7.2001 से 11.7.2001 की अवधि में नौ खनन पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज उत्खनन करने का पता चला।	0.79 लाख मैट्रिक टन (₹ 0.40 करोड़)	यद्यपि खनन पट्टेधारियों के विरुद्ध पंचनामे बनाये गये, वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।
2.	बनाये गये पंचनामों के विरूद्ध पट्टेधारियों ने अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर को अपील की। जिन्होंने अवैध खनिज की मात्रा गणना करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (17.9. 2001) गठित किया।	संयुक्त निरीक्षण दल ने अवधि 26.9.2001 से 30.9.2001 के मध्य पंचनामे बनाये।	26.9.2001 से 30.9. 2001 अवधि में 18 खनन पट्टेधारी स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से खनिज उत्खनन करने का पता चला।	6.71 लाख मै.टन (₹ 2.25 करोड़)	केवल चार पट्टेधारियों ने खनिज कीमत के रूप में ₹ 1.82 लाख जमा कराये।
टिप्पणी:- इस प्रकार देखा जा सकता है कि अवैध खनन के 9 मामलों से बढ़कर 18 मामले हो गये। अभिलेखों में ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं हुआ कि अवधि 2001 से 2011 तक विभाग ने अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की।					
3.	निदेशक के निर्देश दिनांक 7 जनवरी 2011 पर, खनि अभियंता, सीकर ने स्वीकृत क्षेत्रों से बाहर अवैध खनन को आधार बनाने की बजाय कमजोर आधारों पर जैसे सीमा स्तम्भ नहीं बनाना, सूचना पट्टों नहीं लगाना इत्यादि पर (8 जनवरी 2011) 18 खनन पट्टों को खण्डित किया तथा खनन पट्टों का कब्जा दिनांक 10 जनवरी 2011 को लिया। अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर ने (जून एवं जुलाई 2011) उपरोक्त बताये आधारों पर 16 खनन पट्टों को बहाल कर दिया एवं दो खनन पट्टे अवधि समाप्त होने के कारण बहाल नहीं किये।				खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध अवैध उत्खनन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
विभाग ने खनन पट्टों को अवैध खनन के आधार पर खंडित करने की बजाय उपरोक्त बताये गये आधारों पर जैसे सूचना पटल इत्यादि स्थापित नहीं करने के आधार पर खंडित किये। जिसके कारण अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर ने उन्हें बहाल कर दिया।					
4.	खनन पट्टेधारियों की शिकायतें प्राप्त होने पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर ने (25.10.2010) को अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिये अन्य समिति का गठन किया।	समिति ने अवधि 28.10.2010 से 14.11.2010 तक क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया।	23 खनन पट्टेधारियों, स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज चुनाई पत्थर उत्खनित करते पाये गये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के द्वारा समिति का प्रतिवेदन दिनांक 11.3.2011 को सरकार को भेजा गया।	23.59 लाख मै. टन (₹ 23.93 करोड़)	₹ 23.93 करोड़ मांग कायमी के विरूद्ध केवल पांच खनन पट्टेधारियों ने केवल ₹ एक करोड़ जमा कराये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	माननीय लोकायुक्त के निर्देशन पर राज्य सरकार ने (18.11.2011) अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिये एक अन्य समिति का गठन किया।	समिति ने अवधि 13.12.2011 से 17.12.2011 एवं 9.2.2012 से 11.2.2012 के दौरान क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया।	24 खनन पट्टेधारियों को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से बाहर चुनाई पत्थर का उत्खनन करते हुए पाया। समिति ने 18.2.2012 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।	80.34 लाख मै. टन (₹ 149 करोड़)	खनन पट्टेधारी समिति के अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा पर प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सहमत नहीं हुए। अत: खनि अभियंता द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।
6.	अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा पर विवाद होने के कारण खनन पट्टेधारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिए एक नयी समिति गठन करने का निर्देश (24.4.2014) दिया ।	राज्य सरकार ने एक समिति का गठन(20.06.2014) किया जिसने क्षेत्र का सर्वे अवधि 12.8.2014 से 14.8.2014 एवं 21.8.2014 से 23.8.2014 तक किया।	समिति का प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।	–	समापन सभा में राज्य सरकार ने बताया(11.11.2014) कि माननीय न्यायालय के निर्देशन पर गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है एवं इसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि विभाग ने अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही नहीं की। विभाग के कार्यवाही करने के ढंग के कारण ₹ 149 करोड़ कीमत के 80.34 लाख मै.टन चेजा पत्थर का अवैध खनन हुआ। वर्तमान में प्रकरण कार्यवाही हेतु न्यायालय में है।

7.4.11.2 अवैध खनन पर कार्यवाही न होना व समिति का गठन

खनि अभियंता, सीकर के लेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खनिज मार्बल के लिये दो खनन पट्टे (सं. 367/06 एवं 368/06) मै. राकेश मोरदिया के पक्ष में स्वीकृत हुए। खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षण (21 मार्च 2012) के अनुसार पट्टेधारी ने रवन्नाओं में अधिकृत खनिज से अधिक खनिज का खनन करके उसका निर्गमन किया। 3.25 लाख मै.टन मार्बल खण्डा बिना रवन्नाओं के एवं विभाग को बिना अधिशुल्क राशि जमा कराये निर्गमित किया गया। खनि अभियंता ने खनन पट्टेधारी (5 अप्रेल 2012) को अवैध खनिज निर्गमन के लिये चेतना पत्र जारी किया परन्तु इसके पश्चात् खनन पट्टेधारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। न तो अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत का आंकलन किया गया न ही इसकी मांग कायम की गयी। खनन पट्टेधारी से वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 21.09 करोड़ गठित होती है।

यह भी ज्ञात हुआ (मई 2014) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा सुनिश्चित करने के लिये खनि अभियंता, अलवर

एवं खनि अभियंता, जयपुर की एक समिति का गठन किया (5 मई 2014) जिसे दोनों खनन पट्टों के निरीक्षण के पश्चात्, समिति गठन से 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया। परन्तु समिति का प्रतिवेदन अभी तक आना अपेक्षित (नवम्बर 2014) है।

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि समिति का प्रतिवेदन मिलने पर कार्यवाही की जावेगी।

7.4.11.3 रैला बांध के भराव क्षेत्र में खनन पट्टों का आवंटन

सीकर में रैला बांध क्षेत्र में चेजा पत्थर (वर्ष 2010 से 2012 के बीच) के 20 खनन पट्टे स्वीकृत किये। खनन पट्टों के विरूद्ध ग्रामीणों ने शिकायत की। यह प्रिन्ट मीडिया की सुर्खियों में भी आया। राज्य सरकार ने भराव क्षेत्र की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन (13 मई 2013) किया।

एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया। समापन सभा में सरकार ने (11 नवम्बर 2014) कहा कि मामले को समिति के प्रतिवेदन के अनुसार देखा जावेगा।

7.4.11.4 चूना पत्थर के अवैध खनन को सतर्कता शाखा द्वारा पकड़ा जाना

खनि अभियंता, नागौर कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि (मई 2014) खनि अभियंता (सर्तकता), जोधपुर ने 10 चूना पत्थर के खनन पट्टों का निरीक्षण किया (जुलाई 2004) एवं पाया कि स्वीकृत खनन पट्टों के लिये जारी रवन्नाओं का दुरूपयोग करते हुये 2.45 लाख मै.टन (बर्निंग) चूना पत्थर का खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर से उत्खनित कर निर्गमन किया गया। इस पर खनि अभियंता ने अवैध खनन के लिये कारण बताओ चेतना पत्र जारी किये (22 दिसम्बर 2004 एवं 11 मई 2005) एव 10 मामलों में ₹ 7.97 करोड़ की मांग कायम (17 अक्टूबर 2005) की।

राज्य सरकार ने इन पट्टेधारियों द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज चूना पत्थर की मात्रा गणना करने के लिए उप सचिव, खान जयपुर, अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के वित्तीय सलाहकार की एक समिति (30 जून 2006) गठित की ।

समिति ने अपनी बैठक (13 दिसम्बर 2006) में अधीक्षण खनि अभियंता बीकानेर, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक जोधपुर, खनि अभियंता उदयपुर एवं सहायक खनि अभियंता, श्रीगंगानगर को सम्मिलित करते हुये 10 खनन पट्टों से सम्बन्धित अवैध खनन की मात्रा गणना करने के लिए एक निरीक्षण दल को लगाने का निर्णय लिया। इस बीच, खनि अभियंता द्वारा आठ खनन पट्टों को खंडित करने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि दो खनन पट्टे पहले ही खण्डित हो चुके (30 जून 2004 एवं

28 सितम्बर 2004) थे एवं उन पर (28 अप्रेल 2007) भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी। यह देखा गया कि ₹ 6.99 करोड की मांग के विरूद्ध इन मामलों में कोई राशि वसूल नहीं की गयी, साथ ही न तो समिति ने, न ही निरीक्षण दल ने उनके सदस्यों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के कारण कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मामले को अन्तिम रूप देने के लिए एक नई समिति गठित की गई (24 मई 2013), जिसकी प्रगति अभिलेख पर नहीं पाई गयी।

इस प्रकार चूना पत्थर के अवैध खनन का मामला राज्य सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति से 8 वर्ष के बाद भी कमजोर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में नहीं सुलझाया जा सका।

इसको बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि समिति के प्रतिवेदन मिलने पर कार्यवाही की जावेगी।

7.4.11.5 ग्राम केरू (जोधपुर) में खदान अनुज्ञप्तियों के अनुदान हेतु समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर कार्यवाही का अभाव

खनि अभियंता, जोधपुर के दस्तावेजों की मापक जांच में पाया गया कि (जुलाई 2014) ग्राम केरू, जोधपुर में अनियन्त्रित अवैध खनन के कारण सरकार द्वारा एक समिति का गठन (16 दिसम्बर 2009) किया गया। यह भी देखा गया कि ग्राम केरू में 13,551 बीघा सिवायचक भूमि में से 3,300 बीघा भूमि खान विभाग को खदान अनुज्ञप्तियों के आंवटन हेतु वर्ष 2003 से पहले दी गई।

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने वर्ष 1993 में शेष क्षेत्र में खनन पर प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि उक्त क्षेत्र कायलाना झील के भराव क्षेत्र में आता था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में उपलब्ध भूमि की स्थिति एवं भराव क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां दी। 2 जून 2010 को समिति ने प्रतिवेदित किया कि कायलाना झील के भराव क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि झील में पानी इंन्दिरा गांधी नहर से भरा जा रहा था एवं वर्षा का पानी झील में नहीं आ रहा था। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अतिरिक्त 950 बीघा भूमि विभाग को आंवटित की जा सकती है जिससे 800 खदान अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की जा सकती हैं। इससे खनिज उपलब्धता बढ़ने के अतिरिक्त 1500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुश्त ₹ 15 करोड़ आवेदन शुल्क के रूप में तथा प्रतिवर्ष ₹ 2 करोड़ अधिशुल्क राशि एवं ₹ 0.32 करोड़ अनुज्ञप्ति शुल्क के प्राप्त करेगी।

यह देखा गया कि समिति प्रतिवेदन के चार से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि विभाग की अकर्मण्यता के कारण क्षेत्र में अवैध खनन का प्रकरण नहीं सुलझाया जा सका, इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क, अधिशुल्क राशि तथा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में राजस्व भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

7.4.12 विभाग में अपीलों का बकाया रहना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 43 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के तहत अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा पारित आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को अपील कर सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की शक्तियों अतिरिक्त निदेशक, खान में निहित हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपील में अतिरिक्त निदेशक खान के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होता है तो उसे राज्य सरकार में अपील करने का अधिकार है।

7.4.12.1 प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम राजस्थान, जयपुर, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर एवं चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (अप्रेल 2014 से जुलाई 2014) कि 5,250 अपील के मामलों में से 4,588 अपील के मामलों का निस्तारण हुआ, तथा 662 मामले निर्णय हेतु लम्बित थे।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	1 अप्रेल 2009 को लम्बित मामले	1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2013 तक जोड़े या निस्तारित किये गये मामले		अतिरिक्त निदेशक खान विभाग (न्यायालय) में लम्बित मामले
			जोड़े गये	निस्तारण किये गये	
1.	अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर	786	1,443	2,098	131
2.	अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर	153	836	831	158
3.	अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर	494	1,538	1,659	373
योग		**1,433**	**3,817**	**4,588**	**662**

अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर ने मामलों के देरी से निपटाने का कारण अधीनस्थ कार्यालयों से अपूर्ण अभिलेखों की प्राप्ति एवं स्टाफ की कमी होना बताया हालांकि अन्य दो अतिरिक्त निदेशकों द्वारा बकाया रहे मामलों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

7.4.12.2 खनि अभियंता, डूंगरपुर कार्यालय में विभाग ने देखा कि एक खनन पट्टेधारी ने 20,412 मै.टन राशि ₹ 3.57 करोड़ खनिज सर्पेन्टाईन को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से उत्खनित कर निर्गमित किया। खनि अभियंता के द्वारा दिये गये चेतना पत्र (6.4.2009) के विरूद्ध पट्टाधारी ने अपील की एवं उप सचिव खान ने खनन पट्टाधारी के विरूद्ध मांग को यथावत (28.7.2010) रखा। खनन पट्टाधारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे अपील की। न्यायालय द्वारा उप सचिव,

खान को मामले को रिमाण्ड करते हुये दो सप्ताह में अर्थात् 25.4.2012 तक निर्णय देने का आदेश पारित किया। मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।

7.4.13 नोबल मैटल के खनन हेतु खनन पट्टों के आवंटन हेतु घोषित क्षेत्र में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों का दिया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 4(5) के अनुसार सरकार अधिसूचना के द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी के उपयोग हेतु किसी भी सार्वजनिक अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि में से किसी भी खनन पट्टे का अनुदान या नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

खनि अभियंता, सीकर कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में (दिसम्बर 2013) देखा गया कि तहसील नीमकाथाना में 17.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बेस मैटल एवं उसके सहायक खनिज के परीक्षण एव अन्वेषण हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर के निर्देशन पर (4 फरवरी 2002) आरक्षित किया। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा परीक्षण एवं अन्वेषण के पूर्ण करने के पश्चात् जारी अधिसूचना दिनांक 26 अप्रेल 2008 के द्वारा इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नोबल मैटल के खनन पट्टे आवंटन हेतु मुक्त घोषित किया। इस उद्देश्य की एक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका में इन्द्राज की गयी। तथापि खनि अभियंता, सीकर ने चेजा पत्थर के खनन के लिये 24 खनन पट्टों का आवंटन आरक्षित क्षेत्र में अवधि 7 मार्च 2005 से 5 अप्रेल 2010 के दौरान (12 पट्टे 2005 से 2008 के दौरान एवं 12 पट्टे 2008 के बाद) 20 वर्ष के लिये कर दिये।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने 26 जुलाई 2012 को 24 खनन पट्टों को खण्डित करने का निर्णय लिया, परन्तु खण्डित करने के आदेश जारी करने की बजाय खनि अभियंता को निर्देशित किया (12 दिसम्बर 2012) कि वह खनन पट्टेधारियों को खनन पट्टो को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करने के लिये कारण बताओं चेतना पत्र जारी करे। खनि अभियंता ने निर्देशानुसार प्रस्ताव (7 फरवरी 2013) भेजा। यद्यपि कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ तथा खनन पट्टेधारियों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा (दिसम्बर 2013 तक) था। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि विभाग स्वयं के निर्देशों का ही अनुसरण नहीं कर रहा था एवं शीर्ष स्तर पर निगरानी अपर्याप्त थी। नोबल मैटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में खनन पट्टों का गलत आवंटन दर्शाता है कि नोबल मैटल के विकास के लिये विभाग गम्भीर नहीं था।

प्रकरण बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा (फरवरी 2013) खनन पट्टों को प्रभाव शून्य करने के प्रस्ताव भेज दिये गये थे जो निदेशक, खान एवं भू विज्ञान राजस्थान, उदयपुर के स्तर पर

लम्बित थे। जवाब, लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये तथ्य अपर्याप्त निगरानी तथा मामले पर अपर्याप्त कार्यवाही का समर्थन करता है।

7.4.14 खनन पट्टों का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण

खनन क्रियाकलापों का प्रबन्धन एवं विनियमन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा किये जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि खनन पट्टेधारियों द्वारा अविरत रूप से खनन पट्टों के नियम एवं शर्तों का पूर्ण पालन किया जा रहा हैं, खनन क्षेत्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

अधिकतर खान अप्रधान खनिज की होने के कारण चोरी एवं छीजत के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनसे सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को अधिक सतर्क रहना पड़ता है।

समय पर निर्धारण एवं देय राशियों की वसूली के अलावा, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अवैध खनन क्रियाओं के रोकने, सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी खनन को सुनिश्चित किये जाने हेतु सतत् निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। खनन पट्टों में निर्बन्धों एवं शर्तों की पालना नहीं करने के प्रकरणों की चर्चा निम्न प्रकार है:

7.4.14.1 अधिशुल्क निर्धारण का बकाया होना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 38 के अनुसार निर्धारितियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष की विवरणियां प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा अधिशुल्क निर्धारण किये जायेंगे। यदि निर्धारिती विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो निर्धारणकर्ता प्राधिकारी स्वयं के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर अधिशुल्क निर्धारण कर सकता है। यह देखा गया कि खनन पट्टेधारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किये जाने के बाद अधिशुल्क निर्धारण की समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[7] में 2009-10 से 2012-13 की अवधि में से 10,751 अधिशुल्क निर्धारण के मामलों में से 8,177 (76 प्रतिशत) अधिशुल्क निर्धारण किये गये तथा 2,574 (24 प्रतिशत) अधिशुल्क निर्धारण के मामले 31 मार्च 2013 को बकाया रहे। अधिशुल्क निर्धारण नहीं किये जाने के कारण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने समापन सभा में अवगत (नवम्बर 2014) कराया कि बकाया अधिशुल्क निर्धारण के मामलों का शीघ्र निपटान कर दिया जावेगा।

[7] अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी एवं टोंक।

यह सिफारिश की जाती है कि खनन पट्टेधारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिशुल्क निर्धारण की समय सीमा निर्धारित की जावे।

7.4.14.2 इकाइयों द्वारा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त खनिजों पर निगरानी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 54 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खनिजों का व्यापार करता है तो वह खनिज क्रय, भण्डारण एवं विक्रय का सही लेखा रखेगा तथा निरीक्षण हेतु इन लेखों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 68 के अनुसार खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा जारी ट्रांजिट पास के बिना खनिज परिवहन किये जाने पर प्रशमन शुल्क के साथ खनिज कीमत अदा करने की जिम्मेदारी दोषी की होगी।

- ग्यारह खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की मापक जांच में पाया गया कि पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं[8] ने सूचना प्रदान की, कि उनके कार्यक्षेत्र में 140 क्रशर संचालित थे। यद्यपि, सहायक खनि अभियंता टोंक को छोड़ कर किसी भी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने क्रशर के स्थापन तथा संचालन कार्य एवं ट्रांजिट पास जारी करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किये थे।

ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2014) कि क्रशरों के पंजीकरण एवं ट्रांजिट पास जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि, समापन सभा में बताया गया कि नियमों में अस्पष्टता के कारण ट्रांजिट पास जारी नहीं किये गये जिनका सुधार नियमों में संशोधन करके किया जावेगा।

- यह भी देखा गया कि खनि अभियंता, जोधपुर (सतर्कता) के द्वारा खोजे गये एक मामले के संबंध में खनि अभियंता, जोधपुर तत्पर एवं सतर्क नहीं थे। सावकी क्षेत्र (तहसील भोपालगढ़) में स्थित क्रशर का अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता) एवं सर्वेक्षक (खनि अभियंता, जोधपुर) के एक सतर्कता दल ने निरीक्षण (1 मार्च 2013) किया।

सतर्कता दल को 5,700 मै.टन मुंगिया एवं 500 मै.टन रियोलाईट खनिज साईट पर मिला। इसके अतिरिक्त सतर्कता दल ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि क्रशर साईट के नजदीक 2 पिटों जिनका माप 75X22X9 मीटर एवं 30X22X9 मीटर था, से खनिज उत्खनित किया गया। सतर्कता दल ने 1 मार्च 2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तथापि आज तक, अवैध रूप से निर्गमित खनिज की मात्रा की गणना की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

[8] डूंगरपुर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी एवं टोंक।

सम्बन्धित खनि अभियंता ने दो वर्ष के बीत जाने के बाद भी अवैध रूप से निर्गमित खनिज की न तो मात्रा का निर्धारण किया गया, न ही 35,306 मै.टन खनिज की राशि ₹ 60.02 लाख की मांग कायम की गयी।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात् समापन सभा में बताया गया कि मामलों की जांच की जावेगी।

7.4.14.3 अधिशुल्क अदा किये बिना खनिज चुनाई पत्थर का निर्गमन

सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 63(ए) को जोड़ कर (14 अक्टूबर 2011) बेकार खनिज के उठाये जाने पर ₹ 10 प्रति मै. टन की दर से अधिशुल्क एवं अनुमति शुल्क अग्रिम भुगतान कर, अल्प अवधि अनुमति पत्र लेना अनिवार्य किया।

खनि अभियंता, बिजौलिया कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि (जून 2014) आयामी बलुआ पत्थर के लिए स्वीकृत खदानों में आयामी बलुआ पत्थर के साथ निकलने वाला चुनाई पत्थर खदानों में बेकार रूप से पड़ा था। इस प्रकार खनिज चुनाई पत्थर, व्यक्तियों द्वारा एस.टी.पी. जारी कराये बिना अथवा बिना किसी प्रकार का शुल्क या अधिशुल्क अदा किये खदानों से निर्गमित किया गया। खनि अभियंता, बिजौलिया ने बताया (जून 2014) कि स्वीकृत एवं बन्द खदानों के मलबे से उठाये जाने वाले चुनाई पत्थर से प्रतिवर्ष ₹ 2.95 करोड़ अधिशुल्क की अपवंचना हो रही है। इस प्रकार 14 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि में ₹ 4.33 करोड़ की राजस्व हानि हुई। विभाग को इस प्रकार की हानि से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है।

समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) अवगत कराया गया कि नये अधिशुल्क संग्रहण के ठेके में बेकार चुनाई पत्थर के निर्गमन पर अधिशुल्क राशि भुगतान करने की शर्त जोड़ी जावेगी।

अल्पावधि अनुमति पत्र

7.4.15 सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों के द्वारा खनिजों का अनधिकृत उत्खनन एवं उपयोग

राज्य सरकार के 8 अक्टूबर 2008 के परिपत्र के अनुसार सार्वजनिक निर्माण ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले खनिजों के लिए सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अल्पावधि अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमतिपत्र के बिना खनिजों के उपयोग पर सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना एस.टी.पी. के प्रयोग किये गये खनिज की कीमत ठेकेदार से वसूल कर जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के सात कार्यालयों[9] में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों तथा कार्य आदेशों की 'जी शेड्यूल'[10] के प्रति सत्यापन के दौरान (जुलाई 2013 से मार्च 2014) पाया गया कि 75 ठेकेदारों ने या तो अल्पावधि अनुमतिपत्र के बिना या अल्पावधि अनुमतिपत्र पत्र में अधिकृत मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक खनिजों जैसे चुनाई पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि का उत्खनन/उपयोग किया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 8.33 करोड़ बनती है। विभाग ने सम्बन्धित ठेकेदारों से राशि वसूली के लिये सम्बन्धित विभाग के साथ मामला नहीं उठाया।

प्रकरण को बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि ठेकेदारों से राशि वसूली के लिये सम्बन्धित विभागों से कहा जावेगा। वसूली हेतु आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

7.4.16 अवैध खनन करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 एवं भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन की बकाया राशि वसूल की जा सकती है।

ग्यारह खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं से एकत्रित की गयी सूचनाओं से पाया कि 1.24 करोड़ मै.टन खनिज कीमत राशि ₹ 162.46 करोड़ के 1,931 अवैध खनन के मामले विभाग के ध्यान में आये। विभाग कुल खनिज कीमत राशि का केवल पांच प्रतिशत वसूल कर सका तथा शेष राशि ₹ 154.32 करोड़ की अवसूली रही। वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार थी:

इकाइयों की संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	खनिज की मात्रा (हजार मै. टन)	प्रशमन शुल्क के साथ वसूली योग्य कीमत (₹ करोड़)	बकाया वसूली योग्य राशि (₹ करोड़)
11	2009-10	503	13	0.39	शून्य
	2010-11	460	1,676	25.21	23.04
	2011-12	240	10,604	130.61	128.83
	2012-13	728	191	6.25	2.45
योग		**1,931**	**12,484**	**162.46**	**154.32**

प्रकरण को बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि या तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 प्रावधानों के अन्तर्गत या फिर भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

[9] अजमेर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं सीकर।

[10] लागत का सारांश।

7.4.17 वन क्षेत्र में अवैध खनन

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि (अप्रैल 2014) खनि अभियंता, कोटा के क्षेत्राधिकार में वन क्षेत्र के नजदीक 23 खनन पट्टे स्वीकृत थे। यह देखा गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ ने उप वन अधिकारी को सूचित किया (9 अगस्त 2011) कि 10 खनन पट्टेधारियों ने 2.03 लाख मै. टन चुनाई पत्थर कीमत राशि ₹ 3.45 करोड़ वन क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र से उत्खनन कर निर्गमित किया जोकि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर था। इसके उपरान्त भी, खनि अभियंता, कोटा के द्वारा खनन पट्टों को खंडित करने की या फिर उत्खनित खनिज की कीमत वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार (सितम्बर 2014) के ध्यान में लाया गया, जिसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

7.4.18 मकराना में संगमरमर के खनन के लिए नई नीति का निर्माण

राजस्थान खनिज नीति 2011 के पैराग्राफ 10.31 में मकराना में मार्बल के खनन के लिए नई नीति बनाने की व्यवस्था की। हालांकि खनिज नीति 2011 के लागू होने के तीन वर्ष से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी मकराना में मार्बल के खनन के लिए कोई पृथक नीति नहीं बनाई गयी तथा बगैर ऐसी नीति के खनन कार्य जारी था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि प्रकरण विभाग के समक्ष विचाराधीन है। समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) यह अवगत कराया कि पूर्व नीति मुकदमेबाजी के कारण लागू नहीं हो सकी।

7.4.19 अल्पावधि अनुमति पत्रों के प्रकरण के अधिशुल्क निर्धारणों में नियंत्रित प्रणाली का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(6) के अनुसार अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अल्पावधि अनुमति पत्रधारी खनिजों के वास्तविक उत्खनन/निर्गमन के अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये जिम्मेदार होगें। राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2008 एवं 15 नवम्बर 2011 को निर्माण कार्य में उपभोग लिये गये खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिये आदेश जारी किये।

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[11] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र जो वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग

[11] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I एवं टोंक।

के ठेकेदारों को जारी किये गये थे, अधिशुल्क निर्धारण के लिए लम्बित पड़े थे। अभिलेखों में ऐसा प्रकट नहीं होता था कि इन अल्पावधि अनुमति पत्रों के निर्धारण हेतु कोई प्रयत्न किया गया/प्रक्रिया अपनाई गई है।

समापन सभा में बताया गया कि अल्पावधि अनुमति पत्र के निर्धारण के लिए एक साधारण प्रणाली बनायी जावेगी।

7.4.20 आन्तरिक नियंत्रण

7.4.20.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभाग द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रणालियों का अनुसरण किया जा रहा है एवं ये राजस्व की सही वसूली हेतु पर्याप्तता को सुनिश्चित करते हैं, की जानकारी के लिये, प्रशासन के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2014) कि सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के नहीं होने पर, विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली की कमजोरियों के बारे में अवगत नहीं थे।

प्रकरण के बताये जाने पर, सरकार ने समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) अवगत कराया कि स्टाफ की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी एवं सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति देकर प्रक्रिया शुरू की जावेगी।

7.4.20.2 खनन पट्टों एवं खदान अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण

निदेशालय के 21 सितम्बर 1984 आदेश के अनुसार, प्रत्येक खनि अभियंता एवं सहायक खनि अभियंता को वर्ष के दौरान उप-खण्डों के 6 खनन पट्टों सहित कुल 48 खनन पट्टों का निरीक्षण करना है। निदेशालय के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के द्वारा निरीक्षण की संख्या 48 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा खननपट्टों के निरीक्षण का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। खनि अभियंता, जोधपुर तथा खनि अभियंता, सीकर ने अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत की। तीन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों ने निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से

तालिका में दर्शाया गया है:

इकाई का नाम	अवधि	निर्धारित लक्ष्य	किये गये निरीक्षण	कमी	कमी का प्रतिशत
खनि अभियंता, रामगंजमंडी	2009-13	194	66	128	66
खनि अभियंता, डूंगरपुर	2009-13	194	160	34	18
सहायक खनि अभियंता, टोंक	2009-13	194	133	61	31

जबकि, खनि अभियंता, अजमेर एवं खनि अभियंता, नागौर ने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण किये।

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। समापन सभा में यह भी बताया कि निरीक्षणों में कमी स्टाफ की कमी के कारण है एवं निरीक्षण के उचित अभिलेखीकरण के लिए गार्ड पत्रावलियां एवं अभिलेख संधारण के लिए निर्देशित किया जावेगा।

7.4.20.3 ठेका समय में वृद्धि नहीं होने के कारण हानि

बिजौलिया में यह देखा गया कि एक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार का पंजीयन 31 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो रहा था, परन्तु विभाग ने ठेकेदार का पंजीयन 31 मार्च 2011 को ही समाप्त होना मानकर उसके ठेके की अवधि में वृद्धि नहीं की। विभाग द्वारा ठेका 25 मई 2011 को उसी ठेकेदार को आंवटित किया गया। अवधि 1 अप्रैल 2011 से 24 मई 2011 तक विभागीय संग्रहण द्वारा अधिशुल्क राशि ₹ 4.91 लाख की प्राप्ति हुयी। जबकि ठेके की अवधि में वृद्धि से ₹ 19.97 लाख राजस्व अर्जित हुआ होता। पंजीकरण सम्बन्धी गलती नहीं देखे जाने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क राशि ₹ 15.06 लाख की हानि हुई।

7.4.20.4 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल के साथ समन्वय का अभाव

वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25 एवं 26 के अन्तर्गत एक खनन पट्टेधारी के लिए आवश्यक है कि वह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से 'संचालन सहमति' प्राप्त करेगा जिसमें निर्धारित अवधि में निश्चित् खनिज की मात्रा उत्खनित की जा सकती है।

खनि अभियंता, नागौर (जून 2013) के एक प्रकरण में लेखापरीक्षा ने पाया कि एक खनन पट्टेधारी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रतिवर्ष 10,000 मै. टन मात्रा खनिज चूना पत्थर उत्पादन की अनुमति दी। फिर भी, वर्ष 2011-12

में खनन पट्टेधारी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश के अतिलंघन में निम्न विवरण अनुसार 16,850.350 मै.टन चूना पत्थर का उत्पादन किया:

खनिज का नाम	अवधि	अनुमत्य मात्रा (मै.टन)	उत्खनित/ निर्गमित मात्रा (मै.टन)	अवैध उत्पादन (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क ×10)
चूना पत्थर	1.4.2011 से 31.3.2012	10,000	16,850.35	6,850.35	44,52,728

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा निश्चित की गयी निर्धारित उत्पादन सीमा को ध्यान रखे बिना विभाग ने रवन्ना[12] जारी किये। इस प्रकार 6,850.35 मै.टन (₹ 44.53 लाख कीमत के) अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज के उत्पादन की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खनन पट्टेधारियों के द्वारा अधिक खनिज उत्खनन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनुमति के बिना 6,850.35 मै.टन उत्पादन हुआ। न तो विभाग ने और न ही पट्टेधारी ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज के नियमितिकरण हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष यह प्रकरण उठाया।

उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि विभाग को राजकीय राजस्व की सुगम एवं तुरन्त वसूली के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिये।

7.4.21 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टे आवंटन के साथ ही खनन कार्य करने के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। संशोधित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 जो कि 19 जून 2012 को लागू हुए, के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि अनुमति पत्र धारक को अनुमोदन के लिए खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करनी आवश्यक है। संशोधित नियमों में व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन के लिये प्रावधान जोड़े गये। अप्रधान खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के स्वरूप में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी जो 2009-10 में ₹ 420.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 858.41 करोड़ हो गई। फिर भी निम्न क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण की जरूरत है।

- 9,515 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों में से 4,195 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों ने खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त 1,513 खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें

[12] रवन्ना का अर्थ है खानों से खनिज को हटाने या भेजने के लिए एक प्रेषण चालान।

अनुमोदन हेतु बकाया थी। *सरकार, खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों को समय पर प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन करने तथा उसके उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन संचालन एवं खनित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निगरानी व्यवस्था बना सकती है।*

- खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के लिए निदेशालय से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षणों में कमी होने से उचित अधिशुल्क निर्धारण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किये जावें तथा इनका उचित अभिलेख भी रखा जावे।*

- कई स्थानों पर अवैध खनन बिना रोक-टोक के जारी थे। खनन क्रियाकलापों के प्रकरणों के सम्बन्ध में निरीक्षण, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए सरकार/विभाग द्वारा समितियां बनाई जानी थी। समितियों के गठन में देरी के प्रकरण थे। ऐसे भी मामले थे जिनमें समितियां अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रही या विभाग द्वारा समितियों के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

  सरकार, भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करते हुए अवैध खनन की रोकथाम एवं खोज करने की प्रणाली को सुदृढ़ कर सकती है।

  सरकार, समितियों के गठन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। सरकार, ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों के समय पर प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ की गयी सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही भी कर सकती है।

- खनन पट्टेधारी को खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से 'सहमति पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें पर्यावरण हितैषी खनन कार्य के मानक निर्धारित हैं, जैसे कि जल एवं वायु में प्रदूषकों की अनुमत्य मात्रा, निर्धारित अवधि में खनिज उत्पादन की अधिकतम सीमा इत्यादि। निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना की निगरानी न तो खान विभाग और न ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर की गई। *सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी खनन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पालना को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली बनाई जा सकती है।*

7.5 अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपभोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ठ 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(1)(आई) एवं (जे) के अनुसार खनन पट्टेधारी, खान से सभी प्रकार के खनिजों की मात्रा तथा निर्गमन के आंकड़े बताते हुये सही एवं विश्वसनीय लेखे रखेगा। खनन पट्टाधारी खनन कार्य के दौरान खनन क्षेत्र में उसके द्वारा किये गये सभी ट्रेन्चेज, पिट्स एवं ड्रीलिंग का सही-सही रिकॉर्ड रखेगा।

खनि अभियंता, आमेट के रियायत पत्रावलियां, निर्धारण पत्रावलियां एवं पट्टेधारी द्वारा खनन योजना में प्रस्तुत पिट एवं ट्रेन्चेज की मापक जांच एवं प्रति सत्यापन के दौरान यह ध्यान में आया (जनवरी 2014) कि खनन पट्टा (संख्या 27/2005 एवं 35/2003) खनिज क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार के लिये, श्री अशोक कुमार जैन के पक्ष में प्रभावी था। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जांच में यह ध्यान में आया कि पट्टेधारी द्वारा, खनि अभियंता द्वारा अधिशुल्क के भुगतान के लिये निर्धारित खनिज की मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन एवं निर्गमन किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ अधिशुल्क की कम वसूली हुई,

जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	अवधि	खनिज का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित उत्खनित/निर्गमित मात्रा (मै.टन)	खनि अभियंता द्वारा निर्धारित मात्रा जिस पर अधिशुल्क का भुगतान किया (मै.टन)	खनिज की दर प्रति मै.टन	अधिशुल्क की दर (प्रतिशत में)	कुल अधिशुल्क (5x7 x8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	27/05	2003-04 से 2009-10	निम्न श्रेणी पेग्माटाईट	44,479	0	250	12	0.13
			क्वार्ट्ज	22,239	507	250	15	0.08
			फैल्सपार	1,11,198	16,347	250	12	0.28
2.	35/03	2005-06 से 2009-10	निम्न श्रेणी पेग्माटाईट	1,68,241	0	250	12	0.51
			क्वार्ट्ज	84,121	4,232	250	15	0.30
			फैल्सपार	4,20,605	34,678	250	16	1.16
योग								**2.46**

प्रकरण विभाग के (फरवरी 2014) ध्यान में तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के आदेश दिनांक 14 मई 2007 से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है एवं कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जावेगी। हालांकि तथ्य यह रहते हैं कि विभाग 2003-04 से अधिशुल्क के कम भुगतान को पकड़ने में विफल रहा।

7.6 अधिक अधिशुल्क एवं उस पर ब्याज की वसूली का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी या उसके एजेन्ट, मैनेजर, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ट 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा। सरकार द्वारा अप्रेल 2000 में निर्देश जारी कर प्रावधान किया गया कि सक्षम प्राधिकारी मासिक आधार पर खनिज के निर्गमन पर अधिशुल्क की गणना करेगा, उसकी मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही करेगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरल ब्याज का भुगतान करना होगा।

खनि अभियन्ता, नागौर के मांग पंजिका एवं निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (जून 2013) कि दो खनन पट्टों का निर्धारण एक वर्ष चार माह से चार वर्ष के बाद किया और अधिक अधिशुल्क की मांग को गलती से आगे की अवधि के लिये जारी रवन्ना के लिये प्राप्त राशि के साथ समायोजित होना पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.19 लाख अधिक अधिशुल्क की कम वसूली हुई जिस पर 31 मार्च 2013 तक ब्याज ₹ 36.73 लाख भी वसूलनीय था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

पट्टेधारी का नाम	खनन पट्टा संख्या	निर्धारण की अवधि	निर्धारण तिथि	अधिक अधिशुल्क	विलम्ब दिनों में (60वें दिवस से)	ब्याज वसूलनीय
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि.	1/99	20.6.2008 से 19.6.2011	4.10.2012	64.38	591	25.02
एम.डब्ल्यू. माईन्स (प्रा.) लि.	1/88	3.7.2010 से 2.7.2011	8.1.2013	30.81	578	11.71
योग				**95.19**		**36.73**

प्रकरण विभाग के (जुलाई 2013) ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया। सरकार ने (अक्टूबर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों में शेष राशि को जमा कराने के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये एवं एम.डब्ल्यू. माईन्स (प्रा.) लि. द्वारा ₹ 30.44 लाख जमा करा दिये गये।

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक